[Shri Hem Barua]

into this allegation, if the things are found correct or you are satisfied, then you are prepared to appoint a Committee and all that. I think you have said like that.

Now, I want to move this motion—after this ruling you have given, a very healthy precedent that you have set—that there should be an end to this discussion, because, things must not be allowed to go on like this. Therefore, I move a motion for closure. Before that, I must tell Shri Dixit, who has raised the point that most Members or some of them are involved in such a thing, one thing. I challenge the whole House: if they can cite a single instance against anyone of us, I will be the first man to resign my membership of this House.

13.23 hrs.

RE. ARREST OF MEMBERS

(Dr. Ram Manohar Lohia)

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : डा० लोहिया की गिरफ्तारी के बारे में आप कब निवेदन करेंगे । इसके बाद करेंगे क्या ?

डा० राम मनोहर लोहिया (फर्रुखाबाद) : क्या फरमाया है, अध्यक्ष महोदय, आपने इसके बारे म ?

दो तीन बार इसके बारे में मैंने आपको कहा भी है और आपको खत भी लिखा है । आपने वचन दिया था कि आप चव्हाण साहब से बातचीत करके दफा 107 के बारे में बयान देंगे । लोक सभा जब बैठी होती है तो अपोजीशन को खत्म करने के लिये ऐसी धाराओं का इस्तेमाल किया जाता है .

अध्यक्ष महोदय : अभी चाहते हैं तो मैं अभी इसके बारे में कहे देता हूं । मैंने चव्हाण साहब से और ला मिनिस्टर साहब से, दोनों से इस पर बात की है । दोनों पर मैंने इस बात पर जोर दिया है कि जो यह शिकायत है कि 107 दफा का नाजायज इस्तेमाल होता है और डर है इसके इस्तेमाल होने का खसूसन तब जब कि पार्लियामेंट बैठ रही हो, तो इस डर को किस तरह से दूर किया जाए ।

श्री त्यागी (देहरादून) : आइन्दा नहीं होगा ।

अध्यक्ष महोदय : डा० साहब ने मुझे चिट्ठी लिखी थी । दो चीजों का उन्होंने मुतालिबा किया था । एक तो यह था कि 107 में पार्लियामेंट के मेम्बर गिरफ्तार न किये जायें । दूसरी यह थी कि जब पार्लियामेंट बैठी हुई हो उस वक्त किसी मेम्बर को गिरफ्तार न किया जाए

डा० राम मनोहर लोहिया : एक बड़ी बात और थी जो मैंने कही थी और मेरे खत में भी है । वह यह है कि दफा 107 एक नालायक दफा है । उसका गैर-कानूनी इस्तेमाल हुआ है । हमारे ऊपर ही हुआ है ऐसी बात नहीं है (इंटरप्शंज) इनको चुप करवाइये, अध्यक्ष महोदय । दफा 107 जाब्ता फौजदारी की दफा का जो पांचवां अध्याय है और जो जुर्म के निरोध के लिए है, वह हमारे संविधान के बिल्कुल खिलाफ है । आप अक्सर कह चुके हैं कि इस तरह की दफाओं के बारे में अदालतों में जाकर फैसला लिया करो । अदालत में मैं गया हूं । मैंने वहां मुख्य न्यायाधीश से कहा कि यह दफा 107 न सिर्फ मेरे खिलाफ बल्कि हिन्दुस्तान के मामूली गरीब आदमी के खिलाफ भी इस तरह से इस्तेमाल होती है कि आधे से ज्यादा जिनको गिरफ्तार किया जाता है, वे गिरफ्तारी के वक्त साहूकार होते हैं और सरकार उनको गिरफ्तार करके फिर आदत डलवा देती है जुर्म वगैरह करने की । यह तो दफा 107 के बारे में हुआ । इसी का नाजायज इस्तेमाल नहीं होता है

बल्कि दफा 144 जो है और खास तौर से यह दफा 109 जो है ये सब दफायें भारत के नागरिक के ऊपर, उसके सम्मान, उसके जीवन, उसकी सुरक्षा, उसकी आजादी के ऊपर एक महान चोट है और ये दफायें नहीं रहनी चाहियें। इसके बारे में अदालत में मैं गया था। तब गृह मंत्री ने मुझे छोड़ कर अदालत के फैसले को बरबाद करवाया है। यह एक बहुत बड़ा आरोप था। इसके ऊपर आप मेहरबानी करके अपनी राय दें।

अध्यक्ष महोदय : दो बातें उन्होंने कही थीं। एक तो यह कि दफा 107 जिस पर उन्होंने बहुत जोर अभी दिया है और इसको दोहराया है यह विधान के बरखिलाफ है। पहली चीज यह है कि आया संविधान के बरखिलाफ है या नहीं, इसका फसला मैं नहीं कर सकता हूं और न मैं ला मिनिस्टर के साथ और होम मिनिस्टर के साथ अपनी बातचीत में इसका फैसला कर सकता था। दूसरी चीज यह है कि माननीय सदस्य गए थे उसको नाजायज करार दिलाने के लिये और उन्होंने मुकदमा वापिस ले लिया इसलिए वह नहीं करा सके। मैं समझता हूं कि चटर्जी साहब इसके बारे में ज्यादा बतला सकेंगे। मैं तो इतना ला का वाकिफ नहीं हूं। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर न भी 107 का मुकदमा चल रहा हो तो भी किसी सेक्शन को **अल्ट्रा वायरस** करार दिलाने के लिए हर एक सिटीजन जा सकता है और आप भी जा सकते हैं। अगर 107 विधान के खिलाफ है तो उसको आप वैसा करार वहां दिला सकते हैं। इसमें कोई रुकावट नहीं है।

श्री मधु लिमये : नहीं करते हैं। जब कोई गिरफ्तार हो तभी हो सकता है। वैसे नहीं हो सकता है।

डा० राम मनोहर लोहिया : न्यायाधीश ने मना किया है। उन्होंने कहा है कि तुम्हारा मतलब क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : तीसरी बात उन्होंने यह कही है कि धारा 107 में पार्लिमेंट के मेम्बर गिरफ्तार न किये जायें। ऐसी बात मैं कोई नहीं कर सकता हूं। उसकी वजह यह है कि यह तो एक नया प्रिवलेज क्रियेट करना होगा जो कि हम नहीं कर सकते हैं और न हाउस कर सकता है। और कोई नया प्रिवलेज क्रियेट नहीं हो सकता है।

ज्यादा से ज्यादा जो मैं कर सकता था वह मैंने किया है और मने दोनों मिनिस्टर्ज से कहा है, उन से प्लीड किया है कि ऐसे फीयर्ज मेम्बर्ज के मन में नहीं होने चाहियें कि जब वे अपना नार्मल काम कर रहे हों तो उसमें कोई बाधा आए। यह भी किसी वक्त खयाल नहीं होना चाहिये उनको कि इसका नाजायज इस्तेमाल हो रहा है, इसका मिसयूज हो रहा है पार्लिमेंट के मेम्बर्ज के खिलाफ खसूसन उस वक्त जब कि पार्लिमेंट चल रही हो। इस वास्ते

Unless it becomes absolutely necessary for the executive to make any arrest, it should not make it; they have to decide; it should not be left merely to the simple, ordinary officer. More care should be taken and caution exercised. Due care and caution must be exercised and only when it becomes absolutely necessary, arrest should be made; otherwise it should not be made. That was the utmost that I can do, and I have done that.

Shri Hari Vishnu Kamath (Hoshangabad): Sir, on a point of clarification. We have heard you with attention and great respect. I would like to know if the Ministers agree to your suggestion, the suggestion that you made first.

अध्यक्ष महोदय : यह तो उनको कंसिडर करना है।

श्री हरि विष्णु कामत : यकीन नहीं दिलाया है ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन से कहा है । क्या करते हैं यह देखना है । यह तो जो अमल होगा उससे पता चलेगा ।

Shri Hari Vishnu Kamath: All right. The other point is this. You requested Shri Chatterjee to throw light on a particular matter. I hope he will do so in due course. But what worries me is this: that day, and also today—because what happened to Dr. Lohia may happen to any other Member of the Opposition....

अध्यक्ष महोदय : इस पर बहस हो चुकी है । अब सवाल यही था कि मैंने क्या बात की है । उस पर अब नए सिरे से बहस की जाए यह तो ठीक नहीं है ।

श्री हरि विष्णु कामत : जो रूलिंग दिया है, उसके मुताल्लिक मैं कह रहा हूं । 229 जो है . .

अध्यक्ष महोदय : रूलिंग नहीं दिया है । जो बात हुई है उसकी इत्तिला मैंने दी है । मैंने उनको क्या कहा है यह बताया है ।

Shri Hari Vishnu Kamath: You were good enough to say that you are not prepared to go into the merits as to whether sections 107 or 151 of the Cr. P.C. can be applied or not.

Our rule 229 says:

> "When a member is arrested on a criminal charge or for a criminal offence...." etc.

As Mr. Chatterjee pointed out the other day, under sections 107 and 151 no criminal charge or criminal offence can be laid before any member. So, as long as this rule stands, these sections cannot be used.

Mr. Speaker: That only means no intimation is necessary. Otherwise, if it is illegal arrest, that is to be decided by the courts.

श्री मौर्य (अलीगढ़) : अध्यक्ष महोदय, आप उस दिन की कार्यवाही को निकलवा कर देख सकते हैं कि आपने एक और विश्वास दिलाया था, एक वादा और किया था । दफा 107 संविधान के ख़िलाफ़ है, इसका फ़ैसला आपने अदालत के लिए छोड़ दिया है । उसके दुरुपयोग के बारे में भी आपने एक बात कही है । लेकिन आपने एक और विश्वास भी दिलाया था ।

जब संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के नेता, श्री मणिराम बागड़ी, को इस दफ़ा में गिरफ्तार किया गया, तो मजिस्ट्रेट ने उनको जो कागज दिया, उस पर उसने लिखा कि अगर आप पच्चीस पच्चीस हजार रुपये की दो जमानतें दें, तो आपको छोड़ दिया जायेगा । पच्चीस पच्चीस हजार रुपये की दो जमानतें देने के लिए मैं स्वयं और श्री काशीराम गुप्त, पार्लियामेंट के दो मेम्बर गए । हमने अपने आइडैंटिटी कार्ड उनको दिखाए । मैं दस हजार रुपये की अपनी जीप और सतह हजार रुपये की अपनी नई फ़ियट कार लेकर गया । श्री गुप्त अपनी तीस हजार रुपये की सम्पत्ति लेकर गए, एक कार और एक जीप लेकर गए । हमने मजिस्ट्रेट को उनको दिखाया । उसके यहां एक टेलीफ़ोन आया । उससे पहले वह जमानत लेकर छोड़ रहा था, लेकिन टेलीफ़ोन आने के बाद उसने एस० एच० ओ० को आर्डर दिया, "**एस० एल० ओ० टु बेरिफ़ाई दि स्टेटस आफ़ दि शोटीं**" । इस पर मैंने अदालत में हलफ़िया बयान दिया । उस पर भी उन्होंने यही आर्डर किया । मेरा कहना यह है कि उस मैजिस्ट्रेट ने इरादे के साथ माननीय सदस्य को डीटेन करना चाहा, बावजूद इस बात के कि पच्चीस पच्चीस हजार रुपये की दो जमानतें मौजूद थीं । टैक्सी वाले और ट्रक वाले डकैतों की जमानतें करके छुड़ा लेते हैं । पार्लियामेंट के मेम्बर होने की बात छोड़िये, आइडैंटिटी कार्ड की बात छोड़िये, मैंने जो हलफ़िया बयान दिया, उसकी बात भी छोड़िये, लेकिन

हम लोग अपनी जायदाद लेकर गए थे, इसके बावजूद मजिस्ट्रेट ने श्री बागड़ी को नहीं छोड़ा आपने यह कहा था कि आप देखेंगे कि कहां तक उन्होंने अपनी शक्ति का दुरूपयोग किया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं मैजिस्ट्रेट की डिस्क्रीशन और एक्सरसाइज आफ़ पावर के बारे में कोई जजमेंट या फ़ैसला नहीं दे सकता हूं। कोर्ट में जो भी जाता है, वह बतौर एक सिटीज़न जाता है। मैजिस्ट्रेट क्या करता है, मैं उसके बारे में कोई दखल नहीं दे सकता हूं। आपने जो लिखा था, वह मैंने होम मिनिस्टर साहब को लिख दिया था। होम मिनिस्टर साहब की तरफ़ से जो जवाब आया, उसकी इत्तिला भी मैंने आपको दे दी थी।

श्री मौर्य : मैजिस्ट्रेट द्वारा पार्लियामेंट के मैम्बर्ज के एफ़ेडेविट पर शक किया जाता है।

13.33 hrs.

POINT OF PERSONAL EXPLANATION—*contd.*

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh): Sir, when I was not present in the House, Dr. Lohia made some statement about Appeejay Shipping Lines. I was food Minister from August 1963 to July 1964. Whatever may be the lapses of my department or my subordinates, I am responsible as Minister; I am not running away from it. But I was pained to see that he did not confine himself to the lapses of the department and their shortcomings, but in a very vague manner he made the allegations and clubbed me saying from patwari up to Mr. Patil and Mr. Swaran Singh, they are guilty of accepting illegal gratification. This type of statement was aboslutely unjustified. It is unfortunate that he should have made such a statement and in that vague manner.

I was surprised—I do not know whether you are expunging that remark or not—that on an earlier occasion somebody said that Rs. 7 lakhs had been taken for some Congress fund and today somebody says that Rs. 75,000 had been paid to me. This amount goes on shrinking or increasing according to the whims and desires of these hon. Members.

Shri Maurya: You can give the correct figure.

Shri Swaran Singh: I would like to say that I have been serving this House for the last 15 years. These matters which are 3 or 4 years old are bandied about at the fag end of the session when we are going to the polls. It is most unfortunate that incorrect allegations should have been made. I strongly repudiate them as absolutely unfounded and without any basis.

श्री मधु लिमये : मंत्री महोदय ने कहा है कि इस सत्र के अन्त में और चुनाव से पहले इस प्रकार के मामले उठाए जा रहे हैं,लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि अमीचन्द प्यारेलाल और इस्पात मंत्रालय का मामला तो पिछले सत्र से चल रहा है।

डा० राम मनोहर लोहिया : ये लोग हमेशा कह दिया करते हैं कि बिना किसी तफ़सील के यहां आरोप लगा दिये जाते हैं। जब वह अन्न मंत्री थे, उस वक्त क्या . . .

अध्यक्ष महोदय : मैं इस वक्त और नये आरोप लगाने के लिए मौका नहीं दे सकता

(*Interruptions.*)

श्री मधु लिमये : लेकिन आपने अमीचन्द प्यारेलाल के दोस्तों को मौका क्यों दिया सफाई देने का ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने आरोप लगाए और मिनिस्टर साहब ने उनसे इन्कार किया। अब जजमेंट करना इस हाउस का काम है।